

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू/एन०पी०-91/2008-10 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 अगस्त, 2008 भाद्रपद 7, 1930 शक सम्वत्

> उत्तर प्रदेश सरकार विधायी अनुभाग-1

संख्या 1722 / 79-वि-1-08-1(क)16-2008 लखनऊ, 29 अगस्त, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 27 अगस्त, 2008 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :--

उत्तर प्रदेश मूल्य संबर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन 2008 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 का संशोधन के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) धारा 4 दिनांक 1 जनवरी, 2008 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी और शेष उपवन्ध 16 जुलाई, 2008 को प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008 की धारा 2 का संशोधन धारा 13 का संशोधन 2-उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (च) में, अन्त में आये हुए उपखण्ड (छः) को निकाल दिया जाएगा।

3-मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (1) में,-

- (क) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा. अर्थात्:-
- '(ख) इनपुट टैक्स की पूर्ण धनराशि का इनपुट टैक्स क्रेडिट कर के भुगतान के दायी प्रत्येक व्यवहारी को. ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात जब व्यवहारी इस अधिनियम के अधीन कर के भुगतान के लिए दायी होता है. क्रय किये गये पूंजी माल के संबंध में अनुमन्य होगा, यदि ऐसे माल का प्रयोग.—
- (एक) गैर-वैट माल के सिवाय किसी कराधेय माल के विनिर्माण में किया जाना हो और जहां ऐसे विनिर्मित माल का.:--

क-राज्य के भीतर अथवा अन्तर्राज्यीय वाणिज्य या व्यापार के दौरान या भारत की सीमा के बाहर माल का निर्यात करने के दौरान विक्रय किया जाय: या

ख-विक्रय के परिणाम के सिवाय राज्य के बाहर अन्तरित या पारेषित किया जाए; या

- (दो) गैर—वैट माल के सिवाय छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में हो और जहां ऐसे विनिर्मित माल का विक्रय भारत की सीमा के बाहर माल के निर्यात के दौरान किया जाये: या
- (तीन) विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में हो, जहां ऐसी ऊर्जा का प्रयोग गैर-वैट माल के सिवाय किसी कराधेय माल के विनिर्माण में किया जाय और इस प्रकार उत्पादित माल को,—

क-राज्य के भीतर अथवा अन्तर्राज्यीय वाणिज्य या व्यापार के दौरान या भारत की सीमा के बाहर माल का निर्यात करने के दौरान विक्रय किया जाय; या

ख—विक्रय के परिणाम के सिवाय राज्य के बाहर अन्तरित या पारेषित किया जाए; या

(चार) विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में हो, जहां पर ऐसी ऊर्जा का प्रयोग किसी छूट प्राप्त माल के विनिर्माण में किया जाये और ऐसे छूट प्राप्त माल का विक्रय भारत की सीमा के बाहर वस्तु के निर्यात के दौरान किया जाय,

और इनपुट टैक्स की गणना तथा दावा विहित रीति से किया जायेगा। स्पष्टीकरण :- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए.-

- (क) यदि उत्पादित विद्युत उर्जा का 90 प्रतिशत उपभोग उपखण्ड (तीन) और (चार) में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाता है तो इनपुट टैक्स का शत प्रतिशत दावा किया जा सकेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में अनुमन्य किया जा सकेगा।
- (ख) पद विद्युत ऊर्जा का उत्पादन का तात्पर्य कैप्टिव पावर प्लान्ट द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन से होगा जिसके अन्तर्गत उसका मरम्मत और अनुरक्षण सम्मिलित होगा।

(ख) अन्त में आये हुए स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

"स्पष्टीकरण :—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, खण्ड—(क) के अधीन, सारणी की क्रम संख्या 1 के सामने प्रविष्टि में, माल के पुनर्विक्रय में संकर्म संविदा के निष्पादन में अन्तर्गस्त माल में (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) सम्पत्ति का अन्तरण सम्मिलित है।"

4—मूल अधिनियम की धारा 42 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाएगी, अर्थात्:—

धारा ४२ का प्रतिस्थापन

"42-(1) किसी भी औद्योगिक इकाई को,-

पूर्ववर्ती अधिनियम के (क) जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले, अन्तर्गत कर से छूट या कर की दर में कमी का लाम ले रही औद्योगिक हकाइयों के लिए (क) जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले, पूर्ववर्ती अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन यथास्थिति, खरीद या बिक्री या दोनों के, आवर्त पर रही औद्योगिक कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का लाम ले रही हो ; या

जपाय (ख) जिसे पूर्ववर्ती अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन, यथास्थिति, खरीद या बिक्री या दोनों, के आवर्त पर कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा प्राप्त हो;

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर या उसके बाद, यथास्थिति, खरीद या बिक्री या दोनों के आवर्त पर कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति नहीं होगी।

- (2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पहले, पूर्ववर्ती अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कर आस्थगन की सुविधा का लाभ उठा रही औद्योगिक इकाई या ऐसी इकाई जिसे पूर्ववर्ती अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत आस्थगन की सुविधा का लाभ स्वीकृत किया गया हो, को इस अधिनियम और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन शुद्ध देय कर को कर आस्थगन की सुविधा ऐसे निर्बन्धनों के अध्याधीन जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये, जारी रहेगी।
- (3) (क) पूर्ववर्ती अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन उत्पादित माल की बिक्री के विक्रय धन पर कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का लाभ ले रही इकाई; और
 - (एक) जिसकी कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन या उसके अधीन जारी अधिसूचना में यथा उपबन्धित स्थिर पूंजी विनिधान पर आधारित हो ; या
 - (दो) राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्वाधीन किसी निगम या उपक्रम से खरीदी गयी कोई औद्योगिक इकाई जिसे पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा स्वीकृत हो;

हकदारी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित रीति से कमिश्नर को आवेदन कर सकती है।

- (ख) किमश्नर सुसंगत अभिलेखों एवं कर निर्धारक प्राधिकारी की रिपोर्ट का परीक्षण करने के पश्चात् और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि दी गयी सूचना सही एवम् पूर्ण है तो प्रार्थना-पत्र प्राप्ति के 60 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित रीति से वैधता अविध तथा हकदारी धनराशि सहित यथा-निर्धारित विवरण वाला हकदारी प्रमाण-पत्र जारी करेंगे।
- (ग) यदि किमश्नर का यह समाधान ही जाय कि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पन्न में विवरण गलत या अपूर्ण है या विश्वास करने योग्य नहीं है, तो वह आवेदक को सुनवायी का अवसर देने के पश्चात् प्रार्थना पन्न को अस्वीकार करेंगे और उसकी सूचना औद्योगिक इकाई को तदनुसार देंगे।

- (घ) धारा 57 के अधीन अधिकरण को की गयी अपील के अधीन रहते हुए कमिश्नर द्वारा इस निमित्त पारित आदेश अन्तिम होगा।
- (4) पूर्ववर्ती अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन बिक्री के आवर्त पर इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से पहले कर की दर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का लाभ ले रही औद्योगिक इकाई या ऐसे अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को या उसके पश्चात् कर की दर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा प्राप्त औद्योगिक इकाई विहित रीति से और निम्नलिखित शर्ते पूर्ण करने पर, कर अविध की विवरणी सहित सदत्त शुद्ध कर की वापसी के रूप में छूट की हकदार होगी:—
- (क) उक्त इकाई, इस अधिनियम या केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन जारी किया गया विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र रखेगी,
- (ख) उक्त इकाई को कमिश्नर द्वारा जारी किया गया विधिमान्य हकदारी प्रमाण-पन्न रखना होगा,
- (ग) वापसी की धनराशि सुसंगत कर अविध के लिए संदत्त शुद्ध कर के बरावर की धनराशि से अधिक नहीं होगी,
- (घ) संदेय शुद्ध कर, कर अवधि की विवरणी के साथ विहित रीति से जमा किया गया हो,
- (ङ) वापसी की धनराशि धारा 40 के उपबंधों के अध्यधीन होगी सिवाय इसके कि उक्त धनराशि स्वीकृत कर दायित्व के विरूद्ध समायोजित नहीं होगी,
- (च) हकदारी प्रमाण-पत्र में उल्लिखित धनराशि या अवधि दोनों में से, जो भी पहले हो, की समाप्ति पर, वापसी की सुविधा समाप्त हो जायेगी,
- (छ) हकदारी प्रमाण-पत्र में उल्लिखित माल जिसे औद्योगिक इकाई में विनिर्मित किया जाता है, के विक्रय के आवर्त पर संदेय कर को हकदारी प्रमाण-पत्र में उल्लिखित या वर्णित कुल धनराशि में से घटा दिया जाएगा,
- (ज) औद्योगिक इकाई ने किसी भी रीति से कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा का दुरूपयोग नहीं किया है।

 स्पष्टीकरण :--पद "संदेय शुद्ध कर धनराशि" का तात्पर्य है--
- (एक) पूर्ववर्ती अधिनियम और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन कर से छूट की सुविधा ले रही औद्योगिक इकाई के मामले में इकाई में निर्मित गैर-वैट वस्तुओं से मिन्न कराधेय वस्तुओं की बिक्री पर इस अधिनियम के अधीन सदेय कर और विक्रीत गैर-वैट वस्तुओं से मिन्न कराधेय वस्तुओं की सीमा तक या उसके अनुपात में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि के अन्तर की धनराशि से है।
- (दो) कर की दर में कमी की सुविधा ले रही औद्योगिक इकाई के मामले में पूर्ववर्ती अधिनियम के अधीन संदेय कर की दर के सापेक्ष छूट के लिए उपलब्ध कर की दर के अनुपात में ऊपर खंड (एक) के अधीन संगणित शुद्ध कर की आंशिक धनराशि से है।
- (5) (क) ऐसे माह, जिसमें व्यवहारी शुद्ध संदेय कर जमा के साक्ष्य सहित संगत कर अविध की विवरणी दाखिल करता है, के अन्तिम दिनांक से 30 दिन की अविध के भीतर वापसी योग्य पायी गयी धनराशि को वापस कर दिया जाएगा।
 - (ख) धनराशि की वापसी ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।
- (ग) यदि औद्योगिक इकाई, जो स्वीकृत रूप में संदेय शुद्ध कर जमा करने में विफल रहती है या नियत तिथि के बाद जमा करती है, तो उद्ग्रहणीय व्याज और अधिरोपित शास्ति. यदि कोई हो, की धनराशि समायोजित की जाएगी और केवल शेष धनराशि वापस की जायेगी।

- (6) (क) छूट के लिए या कर की दर में कमी के लिए उपलब्ध कुल पात्र समस्त धनराशि तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व कर से छूट या कर की दर में कमी में उपभोग की गयी धनराशि के अन्तर की धनराशि की सीमा तक वापसी की कुल धनराशि सीमित होगी।
- (ख) वापसी की कुल अवधि कर से छूट या कर की दर में कमी के लिए उपलब्ध कुल अवधि तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व समाप्त हुई अवधि के अन्तर की अवधि से अधिक नहीं होगी।
- (7) यदि कोई धनराशि वापस करने योग्य पायी जाती है और उसे विहित समय में वापस नहीं किया जाता है तो औद्योगिक इकाई वापसी के लिए विहित अन्तिम दिनांक से बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की हकदार होगी। ब्याज के धनराशि की वापसी ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाए।
- (8) औद्योगिक इकाई, जो उपघारा (2) के अधीन यथा उपबंधित कर आस्थगन की सुविधा का लाभ ले रही है या उपधारा (4) के अधीन यथा उपबंधित वापसी की सुविधा का लाभ ले रही है, कर बीजक जारी करने तथा धारा 13 के उपबंधों के अध्यधीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र होगी।
- (9) जहां किसी विधि मान्य कारण से या अन्यथा कर की धनराशि या छूट की अविध या कर की दर में कमी की अविध में परिवर्तन होता है वहां किमश्नर स्वप्रेरणा से या औद्योगिक इकाई के प्रार्थना-पत्र पर हकदारी प्रमाण-पत्र में तदनुसार संशोधन करेगा।
- (10) वापसी की सुविधा इस अधिनियम तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन उपलब्ध होगी।
- (11) इस धारा के अधीन वापसी का दावा करने वाली औद्योगिक इकाई को उसके द्वारा दाखिल की गयी विवरणी के आधार पर कर निर्धारित किया गया नहीं समझा जाएगा और वापस की गयी कोई धनराशि दाखिल की गयी विवरणी के समर्थन में लेखों को प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित कर निर्धारण के अध्यधीन होगी।
- (12) इस धारा के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित उन इकाईयों, जो 09 नवम्बर, 2000 (उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की तिथि) के पूर्व स्थापित की गयी थीं और अब उत्तराखण्ड के राज्यक्षेत्र की सीमा में स्थित हैं, पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन लागू होंगे:--
- (क) माल उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित किसी ऐसी इकाई में निर्मित किये जाते हैं जिसके पास ऐसे माल के निर्माण के लिए पूर्ववर्ती अधिनियम की धारा 4—क के अधीन जारी किया गया पात्रता प्रमाण-पत्र (दिनांक 09 नवम्बर, 2000, के पूर्व से जिनकी वैधता प्रारम्भ हुई हो), हो,
- (ख) राज्य में बिक्री से भिन्न अन्तरण के माध्यम से लाये जाने के पश्चात्, विनिर्माता जिसका उत्तराखण्ड राज्य में व्यापार स्थल स्थित है, द्वारा विनिर्माण के पश्चात ऐसे माल की कर से छूट अथवा कर की दर में कमी की सुविधा की अविध के भीतर प्रथम बार बिक्री की गयी हो।
- (ग) उत्तर प्रदेश राज्य के कर निर्धारक प्राधिकारी के समक्ष उत्तराखण्ड राज्य के कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा जारी विधिमान्य और वास्तविक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाता है जिसमें विनिर्माता को उपलब्ध कर से छूट या कर की दर में कमी की समग्र सीमा में कम की गयी धनराशि इंगित की गयी हो।

(13) उपधारा (12) के अधीन कर वापसी की सुविधा वापस ले ली जायेगी, यदि उपधारा (12) के खण्ड (ग) में संदर्भित प्रमाण-पत्र मिथ्या, या फर्जी पाया जाय और उत्तराखण्ड के सुसंगत कर निर्धारक प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया हो।

धारा 57 का संशोधन 5-मूल अधिनियम की धारा 57 में,-

- (क) उपधारा (4) में शब्द एवं अंक 'धारा 55, धारा 56 के अधीन पारित किसी आदेश' के स्थान पर शब्द एवं अंक 'धारा 42, धारा 55, धारा 56 के अधीन पारित किसी आदेश' रख दिये जायेंगे;
- (ख) उपधारा (12) में खण्ड (घ) में, शब्द और अंक "धारा 59 के अधीन दिये गये किसी विनिश्चय" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 42 के अधीन पारित आदेश या धारा 59 के अधीन दिये गये किसी विनिश्चय" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद 6—(1) उत्तर प्रदेश मूल्यसंवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3

सन 2008

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृतं कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारनाम समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 के अधीन कितपय औद्योगिक इकाइयों को पूंजी निवेश के आधार पर कर से छूट या कर की दर में कभी की सुविधा नियत मौद्रिक सीमा एवं नियत अविध के लिये अनुमन्य थी। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सीमेन्ट निगम लिमिटेड की डाला तथा चुनार स्थित इकाइयों की आस्तियों के क्रेता को माननीय उच्च न्यायालय के अनुमोदन के दिनांक से 10 वर्ष की अविध के लिये व्यापार कर के भुगतान से छूट प्रदान की गयी थी। ऐसी इकाइयों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 में समुचित प्रावधान किये जाने तथा औद्योगिक इकाइयों को कैप्टिव पावर प्लान्ट के क्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट दिये जाने के सम्बन्धित प्रश्न पर विचार करने के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गयी थी। उक्त बैठक में की गयी संस्तुतियों पर विचारोपरान्त यह विनिश्चय किया गया कि सन् 2008 के उक्त अधिनियम को संशोधित करके निम्नलिखित व्यवस्था की जाये,—

- (क) सन् 2008 के उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व कर से छूट या कर की दर में कमी के लिये पात्र उक्त औद्योगिक इकाइयों के लिये दिनांक 01 जनवरी, 2008 से कर अवधि की विवरणी के साथ भूगतान किये गये नेट टैक्स की वापसी छूट के लिये प्रावधान किया जाय;
- (ख) औद्योगिक इकाइयों को केवल निर्माण प्रक्रिया में उपयोग के लिये कैंप्टिव पावर प्लान्ट को पूंजी माल में सम्मिलित करने के पश्चात् उसके क्रय के लिये इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुमन्य किया जाय।

चूँिक राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिये विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था; अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 16 जुलाई, 2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2008 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2008) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये प्रःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, सै0 मजहर अब्बास आब्दी, प्रमुख सचिव।

No. 1724(2)/LXXIX-V-1-1(ka)14-2008

Dated Lucknow, August 29, 2008

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mulya Samvardhit Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 19 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 27, 2008:—

THE UTTAR PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT)

ACT, 2008

(U.P. Act no. 19 of 2008)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

ΔΝ

ACT

to amend the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth year of the Republic of India as follows:

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2008.

Short title and commencement

- (2) Section 4 shall be deemed to have come into force on January 1, 2008 and the remaining provisions shall be deemed to have come into force on July 16, 2008.
- 2. In section 2 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 hereinafter referred to as the principal Act, in clause (f), sub clause (vi) appearing at the end shall be omitted.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 5 of 2008

3. In section 13 of the principal Act, in sub section (1),-

Amendment of section 13

- (a) for clause (b) the following clause shall be substituted, namely:
- "(b) Input tax credit of full amount of input tax shall be allowed to every dealer, liable to pay tax, in respect of capital goods purchased on or after the date on which dealer becomes liable for payment of tax under this Act, if such goods are to be used in,
- (i) manufacture of any taxable goods except non-vat goods and where such manufactured goods is,-
 - A. Sold within the State or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of the export of the goods out of the territory of India; or
 - B. transferred or consigned outside the State otherwise than as a result of a sale; or
 - (ii) manufacture of any exempt goods except non-vat goods and where such manufactured goods are sold in the course of export of the goods out of the territory of India; or
 - (iii) generation of electrical energy, where such energy is used for the manufacture of any taxable goods other than non-vat goods and such manufactured goods is, -

- A. Sold within the State or in the course of interstate trade or commerce or in the course of the export of the goods out of the territory of India; or
- B. transferred or consigned outside the State otherwise than as a result of a sale; or
- (iv) generation of electrical energy where such energy is used for the manufacture of any exempt goods and such exempt goods is sold in the course of export of the goods out of territory of India;

and the amount of input tax shall be computed and be claimed in prescribed manner.

Explanation:-For the purposes of this clause, -

- (a) if 90% of electrical energy generated in consumed for the purposes refereed to in sub clauses (iii) and (iv), 100% Input Tax may be claimed and be allowed as Input Tax Credit.
- (b) the expression 'generation of electrical energy' shall mean generation of electrical energy by using captive power plant including repairing and maintenance there of."
- (b) for the Explanation appearing at the end, the following Explanation shall be substituted namely :-

"Explanation: - For the purposes of this sub section, for entry against serial no. 1 of the table under clause (a), re-sale of goods includes transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) involved in the execution of a works contract."

Substitution of

4. For section 42 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :-

"42 (1) No industrial unit,-

- (a) availing benefit of exemption from or reduction in the rate of tax under the erstwhile Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 on the turnover of sales or purchase or both as the case may be, before the commencement of this Act; or
- (b) which is granted the benefit of exemption from or reduction in the rate of tax on the turnover of sale or purchase or both as the case may be, under the erstwhile Act or under the Central Sales Tax Act, 1956;

shall be permitted to avail the benefit of exemption from, or reduction in the rate of, tax on the turnover of sale or purchase or both as the case may be, on or after the commencement of this Act.

- (2) The industrial unit availing the benefit of tax deferment under the erstwhile Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 before the commencement of this Act or a unit which is granted facility of tax deferment under the erstwhile Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 shall continue to avail the facility of deferment for net tax payable under this Act and the Central Sales Tax Act, 1956 subject to such conditions and restriction as may be prescribed.
- (3) (a) The industrial unit availing benefit of exemption from, or reduction in the rate of, tax under the erstwhile Act or under the Central Sales Tax Act, 1956 on the turnover of sales of manufactured goods; and

section 42

Treatment of industrial units availing exemption or reduction in the rate of tax under erstwhile Act

- (i) whose facility of exemption or reduction in the rate of tax is based on the fixed capital investment as provided under the erstwhile Act or notification issued there under; or
- (ii) an industrial unit purchased from the State Government or any corporation or undertaking owned or controlled by the State Government and to whom exemption or reduction in the rate of tax has been granted under the erstwhile Act may apply to the Commissioner for issue of the Certificate of entitlement in the prescribed from and in prescribed manner.
- (b) The Commissioner after examining the relevant records and report from the assessing authority and if he is satisfied that the information furnished is correct and complete, shall issue within 60 days from the date of receipt of the application, the Certificate of entitlement in prescribed from and in prescribed manner containing such particulars as may be prescribed including period of validity of certificate and amount of entitlement if any.
- (c) If the Commissioner is satisfied that particulars furnished by an industrial unit in the application is wrong or incomplete or is not worthy of credence, he shall after giving the applicant the opportunity of being heard, reject the application and inform the industrial unit accordingly.
- (d) Subject to an appeal to the Tribunal under section 57 the order passed by the Commissioner in this behalf, shall be final.
- (4) The industrial unit availing benefit of exemption from, or reduction in the rate of, tax on the turnover of sales before the date of commencement of this Act or an industrial unit which is granted the facility of exemption from, or reduction in the rate of, tax on or after such commencement, on the turnover of sales under the erstwhile Act or the Central Sales Tax Act, 1956 shall be entitled for exemption by way of refund of net tax paid along with the return of tax period in prescribed manner and on fulfilling the conditions that,
 - (a) the unit shall hold valid registration certificate issued under this Act or under the Central Sales Tax Act, 1956,
 - (b) the unit shall have a valid Certificate of Entitlement issued by the Commissioner,
 - (c) the amount of refund shall not be more than an amount equal to net tax paid for relevant tax period,
 - (d) the net tax payable has been deposited along with return of tax period in prescribed manner,
 - (e) the refund shall be subject to the provisions of section 40 except that the amount shall not be adjusted against the admitted tax liability,
 - (f) the facility of refund shall cease on the day when the amount or the period mentioned in the Certificate of Entitlement, whichever is earlier,
 - (g) the tax payable on the turnover of sales of goods mentioned in the Certificate of Entitlement and which is manufactured in the industrial unit shall be deducted from the total amount mentioned or described in the Certificate of entitlement,
 - (h) the industrial unit has not misused the facility of exemption from or reduction in the rate of tax in any manner.
 - Explanation:-The expression 'net amount of tax payable' means-
- (i) the differential amount of tax payable under this Act on the sale of taxable goods other than non-vat goods, manufactured in the unit and input tax credit available to the extent or proportionate to taxable goods other than non-vat goods sold, in case of an industrial unit availing facility of exemption from tax under the erstwhile Act and the Central Sales Tax Act, 1956

- (ii) the partial amount of net tax computed under clause (i) above, in proportion to the rate of tax available for exemption to the rate of tax payable under the erstwhile Act, in case of an industrial unit availing benefit of reduction in the rate of tax.
- (5)(a) The amount found refundable shall be refunded within a period of 30 days from the last date of the month in which dealer files the return of relevant tax period along with the proof of deposit of net tax payable.
 - (b) The amount of refund shall be made in such manner as may be prescribed.
 - (c) The Industrial unit failing to deposit the net tax admittedly payable within prescribed time and in prescribed manner or deposits it after due date, the amount of interest leviable and penalty imposed if any, shall be adjusted and only the balance amount shall be refunded.
- (6) (a) The total amount of the refund shall be limited to the extent of the differential amount of the total eligible amount available for exemption or reduction in the rate of tax and the amount availed in exemption or reduction in the rate of tax before the commencement of this Act.
- (b) The total period of the refund shall not exceed difference of the total period available for exemption or reduction in the rate of tax and the period exhausted before the commencement of this Act.
- (7) If any amount is found refundable and is not refunded with in the prescribed time, the industrial unit shall be entitled to simple interest at the rate of twelve percent per annum from the last date prescribed for refund. The amount of interest shall be refunded in such manner as may be prescribed.
- (8) The industrial unit availing the benefit of tax deferment as provided under sub-section (2) or availing the facility of refund as provided under sub-section (4), shall be eligible to issue tax invoices and to claim input tax credit subject to provisions of section 13.
- (9) Where the amount or the period for exemption or reduction in the rate of tax changes on account of any valid reason or otherwise, the Commissioner shall suo motu or on an application of the industrial unit, amend the certificate of entitlement accordingly.
- (10) The facility of refund shall be available under this Act and under the Central Sales Tax Act, 1956.
- (11) An industrial unit claiming the refund under this section shall not be deemed to have been assessed based on the returns filed by it and any refund made shall be subject to assessment requiring production of accounts in support of the return filed.
- (12) The provisions of this section shall mutatis mutandis apply to those units which were established before 9th November, 2000 (the date of re-organisation of Uttar Pradesh) and now situated within the territory of Uttarakhand subject to the following conditions,—
 - (a) the goods are manufactured in a unit established in the State of Uttarakhand having eligibility certificate (validity commencing prior to 9th November 2000) issued under section 4-A of the erstwhile Act for the manufacture of such goods.
 - (b) such goods are sold for the first time after their manufacture within the period of facility of exemption or reduction in the rate of tax, after brining them into the State by way of transfer other than sales, by manufacturer having his place of business in the State of Uttarakhand.

- (c) valid and genuine certificate issued by the assessing Authority of the State of Uttarakhand is produced before the assessing authority of the State of Uttar Pradesh indicating therein that the amount has been reduced in the overall limit of exemption or reduction in the rate of tax available to the manufacturer.
- (13) Facility of refund of tax under sub-section (12) shall be withdrawn, if the certificate referrd to in clause (c) of sub-section (12) is found false or fake and not issued by the relevant assessing authority of Uttarakhand."

Amendment of Section 57

- 5. In section 57 of the principal Act,-
- (a) in sub-section (4) for the words and figure "an order passed under section 55" the words and figures "an order passed under section 42, section 55" shall be *substituted*;
- (b) in sub-section (12), in clause (d) for the words and figure "a decision given under section 59" the words and figures "an order passed under section 42 or a decision given under section 59" shall be *substituted*.

U.P. Ordinance no. 3 of 2008 6. (1) The Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2008 is hereby repealed.

Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The facility of exemption from or reduction in the rate of, tax was admissible on the basis of capital investment upto a fixed monetary limit and for a fixed period to certain industrial units under the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948. Besides, exemption from payment of trade tax was granted to the purchaser of the units situated at Dalla and Chunar of the Uttar Pradesh State Cement Corporation Limited for a period of ten years from the date of approval of the Hon'ble High Court. A meeting was organized under the chairmanship of the Chief Secretary for considering the question of making proper provisions in the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 with respect to such units and of giving input tax credit to the industrial unit on the purchase of captive power plant. After considering the recommendations made in the said meeting it was decided to amend the said Act of 2008 to provide for,—

- (a) making provision for exemption by way of refund of net tax paid along with the return of tax period with effect from January 01, 2008 for the said industrial units eligible for exemption from or reduction in the rate of tax prior to the commencement of the said Act of 2008;
- (b) the input tax credit should be made admissible to the industrial units for the purchase of captive power plant after including in the capital goods only for use in the process of manufacture.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision the Uttar Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2008 (U.P. Ordinance no. 3 of 2008) was promulgated by the Governor on July 16, 2008.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order, S.M.A. ABIDI, Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी०—470 राजपत्र (हि०)—2008—(1039)—597 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०—ए०पी०—101 सा० विधायी—2008—(1040)—850 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।